# राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक .एफ–4/मु./याता/लेखा (91(ए)/2016/261 दिनांकः 17-06-2016

## कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक.एफ–4/मु./याता/लेखा (91(ए)/2015/1333 दिनांक 2.9.2015 के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया के बजट भाषण 2015–16 के बिन्दु संख्या –218 की घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में अधिस्वीकृत पत्रकारों को राज्य में संचालित एवं दिल्ली यात्रा हेतु निगम की सभी वातानुकूलित एवं वोल्वों बसों में यात्री किराये में 50 प्रतिशत छूट परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित योजना की प्रति प्रेषित करते हुये प्रदान की गयी ।

निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार के पत्रांक प0 9 (6) सम्पर्क/2016–17/8535 जयपुर दिनांक 8.6.2016 एवं 8536–43 दिनांक 08.6.2016 से माननीय मुख्यमंत्री महोदया के बजट भाषण 2016–17 के बिन्दु संख्या –418 के क्रम में निगम की वोल्वो बसों में राजस्थान राज्य क्षेत्र व दिल्ली की निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय सहमति प्रदान की गई ।

अतः सभी सम्बंधितों को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अधिस्वीकृत पत्रकारों को विशेष आरएफआईडी कार्ड (वातानुकूलित एवं वोल्वों बसों में मान्य ) के अनुसार निगम की समस्त वातानुकूलित एवं वोल्वो बसों में राजस्थान राज्य क्षेत्र व दिल्ली की वर्तमान में प्रदान की जा रही यात्रा सुविधा 50 प्रतिशत रियायती किराये राशि के स्थान पर निःशुल्क यात्रा सुविधा दिया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि इन यात्राओं से निगम पर पडने वाले वित्तीयभार राशि की सूचना पूर्व में प्रेषित दिशा–निर्देशों के साथ निम्न प्रपत्र में तैयार कर प्रतिमाह की सात तारीख तक उप महा प्रबंधक (वित्त–वसूली) को भेजना सुनिश्चित करें। उप महा प्रबंधक (वित्त–वसूली) संकलित वित्तीय भार राशि का विवरण निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित कर राशि वसूली करना सुनिश्चित करेगें ।

| क्रसं. | नाम पत्रकार/ यात्रा हेतु जारी टिकिट संख्या | आरएफआईडी कार्ड संख्या | यात्रा की तिथि | यात्रा का स्थान<br>कहां से कहा तक | यात्रा हेतु निर्धारित किराया राशि | भुगतान योग्य राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

उक्त आदेश निगम संचालक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है जो तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

F 71687
17.6.16

(राजेश यादव)
प्रबंध निदेशक

क्रमांक .एफ–4/मु./याता/लेखा (91(ए)/2016/261 दिनांकः 17-06-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री ,सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक ,माननीय राज्यमंत्री (परिवहन), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर ।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को पत्रांक प0 9 (6) सम्पर्क/2016–17/8535 जयपुर दिनांक 8.6.2016 एवं 8536–43 दिनांक 08.6.2016 के क्रम में ।
7. उप शासन सचिव (परिवहन) परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर ।
9. महा प्रबंधक/संयुक्त महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक ( ) रापनि,जयपुर।
10. उप महा प्रबंधक (सांख्यिकी)/(आई.टी.)राज0 परि0 निगम, जयपुर,उक्त के लिए E.T.I.M./Computer program में टिकिट जारी करने की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा उक्त आदेश को निगम बेवसाईट पर भी उपलब्ध करावें।
11. उप महा प्रबंधक (वित्त–वसूली) राज0परि0निगम, मुख्यालय–जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यात्रा योजना से पडने वाले वित्तीय भार का विवरण आगारों से प्राप्त कर संकलित वित्तीयभार का पुनर्भरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
12. कार्यकारी प्रबंधक ( )/निगम सचिव राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर।
13. कार्यकारी प्रबंधक (जन सम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही करें।
14. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम ....................आगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क एवं रियायती टिकिटों के सम्बन्ध में प्रकिया एवं रिकार्ड का संधारण सम्बन्धित कार्यवाही की जावे तथा समस्त निरीक्षकों/परिचालकों एवम् सभी सम्बन्धितों को इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करते हुये उक्तानुसार रियायती यात्रा सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे।
15. आदेश पत्रावली।

(घनश्याम सिंघाडिया)
उप महाप्रबंधक